

# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

04 / 2024  
23.01.2024

मोरपाल पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट  
जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार धुंवाकला, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार धुंवाकला दिनांक 16.01.2024  
पत्रावली संख्या 176 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री जोधराज गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 28.03.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम चारनेट पटवार मण्डल चारनेट तहसील नगरफोर्ट से बेदखल करने, फसल जप्त करने तथा राजस्व लगान 11.12 रु. का 50 गुणा जुर्माना कुल 556 रु. आयद करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार धुंवाकला के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित




  
बतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक

करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और अपीलान्ट की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल नहीं करवायी और बिना तामिल के उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया। बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिए ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बाद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं, उक्त निर्णय पारित किया जाता। अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सजायाब करने में गलती की है। तहसीलदार ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलान्ट को चार सजायें क्रमशः बेदखल करने, फसल जप्त करने, पेनल्टी आरोपित करने, सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाएं एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला का निर्णय दिनांक 16.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की स्वयं की तामिल हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 504/23 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलान्ट ने पुनः उक्त भूमि पर काशत कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनुन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय



  
बहिरिस्त जिला न्यायालय  
दोष

की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अनाधिकृत अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार धुंवाकला से उक्त भूमि पर कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 118 दिनांक 26.03.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि से फसल काट ली गई है एवं तारबन्दी भी हटा ली गई है। वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला के निर्णय दिनांक 16.01.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)  
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,  
टोकटोबा